न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी संजू मीणा)

आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./41/2019

1. गायत्री पत्नि राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीया

बनाम

1. छोटू पुत्र बरदा जाति तेली निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. जेती पत्नि देबी जाति जाट निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. सीता पुत्री देबी जाति जाट निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. राज.सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील अपीलाण्ट– श्री देवकान्त व्यास

2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा देवलियांकलां स्थित आराजी जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता सं. 192 में दर्ज खसरा नं. 1557 रकबा 0.28, 1572 रकबा 0.11, 1574 रकबा 0.35, 1580 रकबा 0.33 किता 4 कुल रकबा 1.07 हैं0 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 1लगायत 3 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 4 जरिये तहसीलदार भिनाय ने वादीया को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने पर कहने के कारण वादीया ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 नोटिस तामिली के बावजूद न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थीया बतौर सहखातेदार दर्ज हैं प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों की तन्हा स्वामीनी नहीं होकर स्वयं के हिस्से तक भूमि की अधिकारिणी हैं जिसका वर्तमान में विधिवत विभाजन नहीं होने एवं अन्य खातेदारान द्वारा पत्थरगढी हेतु पक्षकारान नहीं बनाये जाने के कारण प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम आनुतोष योग्य न होने से अस्वीकार किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी भिनाय

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.08.31 12:41:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner